

रिट याचिका संख्या 64486/2009 (खण्डपीठ) शिव गोपाल गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।

विषय: याचीगण द्वारा रिट याचिका में उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांक 31.10.2009 को प्रकाशित विज्ञापित जिसके अनुसार 1340 रिक्तियों उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस से निरीक्षक नागरिक पुलिस में उ०प्र० उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 यथा प्रथम संशोधित वर्ष 2009 के अनुसार भरी जानी है, को निरस्त करते हुये यह प्रोन्नति शासनादेश दिनांक 05.11.1965 और भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम 1841 की धारा-2 व 46(2) के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया है।

निर्णय— मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.08.2010 आदेश पारित किया गया:—

In the present case the recruitment by inviting names for consideration was started on 31-10-2009. By that date the first, and Second amendment to the Rules of 2008, were notified with a clear legislative intention that the Sub Inspectors appointed substantively, who have completed 7 years of service on the first day of year of recruitment will be considered for promotion in accordance with the new method for selection provided in the Rules. The Third Amendment to the Rules was notified on 5-4-2010 to clarify the intention that all previous Rules, Government Orders and administrative instructions are rescinded, revoked ab-initio, and are withdrawn.

The petitioners did not acquire or mature any right to be considered for promotion under the Government Order dated 5-11-1965.

The writ petition is dismissed.